



सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911



शाखा .प्र .म : हाउसिंग बोर्ड, जबलपुर (म.प्र.)

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन 15 दिनों की विक्रय सूचना

प्रति
M/S P S Udyog मे. पी.एस. उद्योग (पार्टनर- श्री सतीश सुगानी पुत्र स्व. श्री प्रेमचंद सुगानी एवं श्रीमति माया सुगानी पत्नी श्री दिलीप सुगानी)

पता- प्लॉट 101, सेक्टर ई 4, इंडस्ट्रियल एरिया, मनेरी, तहसील निवास, जिला मंडला 481885

श्री सतीश सुगानी पुत्र स्व. श्री प्रेमचंद सुगानी- पता: म.नं: 783, हरिओम विहार, एनईएस कॉलेज के पास, नेपियर टाउन, जबलपुर 482001

श्रीमति माया सुगानी पत्नी श्री दिलीप सुगानी - पता: म.नं: 783, हरिओम विहार, एनईएस कॉलेज के पास, नेपियर टाउन, जबलपुर 482001

विषय: : ई-नीलामी विक्रय नोटिस- ऋण खाते क्र. 3743514103, 3777688434, 3517279202, 3527822807

जबकि आप उपरिनिर्दिष्ट ऋणकर्ता/ सह-ऋणी/जमानतदार/संपत्ति बंधककर्ता है एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के सहपठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) अंतर्गत जारी नोटिस दिनांक 01/01/2020 तथा तत्पश्चात धारा 13(4) के अंतर्गत जारी कब्जा नोटिस दिनांक 17/03/2020 की सूचना के बावजूद आज दिनांक तक बकाया रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर, प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूत आस्ति/स्थावर संपत्ति का विक्रय नीलामी के माध्यम से दिनांक 16/10/2026 (अपराहन 12:30 बजे से संध्या 5:00 बजे तक) को किया जाना प्रस्तावित है। नीलामी सूचना का प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों में किया जाएगा।

एतद्वारा आपको 15 दिनों का नोटिस दिया जाता है कि आप बकाया राशि के साथ सभी व्यय प्रभार तथा लागत का भुगतान कर प्रतिभूति का मोचन कर लें अन्यथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रावधानों तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बकाया राशि की वसूली हेतु उपरोक्त निर्धारित तिथि को नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी।

स्थावर संपत्ति का विवरण:

ऋणी / शाखा का नाम	संपत्तियों का विवरण	देय बकाया राशि
मे. पी.एस. उद्योग पार्टनर- श्री सतीश सुगानी पुत्र श्री प्रेमचंद सुगानी एवं श्रीमति माया सुगानी पत्नी श्री दिलीप सुगानी) (उधारकर्ता/ संपत्ति बंधककर्ता)	साम्य बंधक भवन: प्लॉट नं. 101, सेक्टर-ई-4, इंडस्ट्रियल एरिया, मनेरी, जिला मंडला (म.प्र.) कुल रकबा 1000 वर्गमीटर के लीज राइट एवं उस पर निर्मित शेड ("जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है" एवं "दायित्व रहित" के आधार पर) संपत्ति स्वामी : श्रीमति माया सुगानी पत्नी श्री दिलीप सुगानी, चतुःसीमा : उत्तर:रास्ता , पूर्व -प्लॉट नं. 100, दक्षिण -प्लॉट नं. 125, पश्चिम -प्लॉट नं. 102, भौतिक कब्जा	रु 80,03,623 + ब्याज + विधिक व्यय
संबंधित शाखा: एम. पी. एच. बी.		

स्थान: जबलपुर (म.प्र.)

तिथि: 25/09/2026

(Handwritten Signature)

प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

